TO, 2014

B4

1511505/2020/SOECV

1293637/2019/SOECV

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 88—91

Dated : 1-2-2014

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 16.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (तकनीकी अधिकारी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संबद्ध वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी अधिकारी	71* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

1511505/2020/SOECV
1293637/2019/SOECV

(2)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नतियां या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** जिसने वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. के वेतनमान में सहायक (वास्तुकीय विभाग) सहित 4200 रु. के ग्रेड वेतन में इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो, तथा भवन उप नियम, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग विनिर्देश अथवा दर अनुसूची अथवा ऑटोकैड संबंधी आरेख तैयार करने संबंधी दो सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो । टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसका गठन किस प्रकार से किया है	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती के संबंध में परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अपर महानिदेशक (वास्तुविद्) अथवा अपर महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —अध्यक्ष 2. मुख्य वास्तुविद अथवा मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

1511505/2020/SOECV
1293637/2019/SOECV

(3)

(12)

3. निदेशक (संकर्म), अथवा उप सचिव शहरी विकास मंत्रालय	—सदस्य
4. निदेशक प्रशासन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—सदस्य

[फा. सं. 32/4/2001-एस एंड डी/ईडब्ल्यू-1]
बिसवनाथ साहू, अवर सचिव

(Central Public Works Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2014

G.S.R. 16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Public Works Department (Technical Officer) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer, Central Public Works Department in the Ministry of Urban Development, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department (Technical Officer) Group 'B' post Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the above said schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall not be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Officer	71* (2014) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, ₹ 9300—34800 with Grade Pay of ₹ 4600	Selection	Not applicable

	(4)	
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	**Promotion:** Assistant (Architectural Department) in the Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade and have successfully completed two week's training course on Building byelaws, Central Public Works Department specifications or Schedule of rates and preparation of drawings on Autocad. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Additional Director General (Arch.) or Additional Director General, Central Public Works Department —Chairman 2. Chief Architect or Chief Engineer Central Public Works Department —Member 3. Director (Works) or Deputy Secretary, Ministry of Urban Development —Member 4. Director of Administration, Central Public Works Department —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 32/4/2001-S&D/EW-I]

BISWANATH SAHOO, Under Secy.